

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4559
28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

“इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं”

4559. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों में खराब बैटरी के कारण वाहन में आग लगने की घटनाओं की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास देश में विनिर्मित हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में खराब बैटरी, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, और अन्य बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की घटनाओं की संख्या से संबंधित ब्यौरे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी मौतें हुईं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ) : जी हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, ओकीनावा ऑटोटेक, प्योर ईवी, जीतेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओला इलेक्ट्रिक और बूम मोटर्स के इलेक्ट्रिक दुपहियों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं।

वाहनों के प्रोटोटाइप/संघटकों का परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अंतर्गत अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाता है ताकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन हो सके।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु तथा नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम और आईआईटी, चेन्नई के स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम का गठन किया था ताकि आग लगने के मूल कारण का पता लगाया जा सके और उपचारी उपायों की सिफारिश की जा सके।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और इसके संघटकों, बीएमएस तथा संबद्ध प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानदंडों के सुझाव देने के लिए भी एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 सितंबर,2022 के अपने सां.आ. 4567(अ) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों अर्थात् एआईएस:156 [एल श्रेणी (चार से कम पहिए वाले और चौपहिए मोटरवाहन) के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन] और एआईएस:038 (पुनरीक्षण 2) [एम श्रेणी (यात्रीवहन के लिए न्यूनतम चार पहिए वाले मोटर वाहन), एन श्रेणी (मालवहन के लिए न्यूनतम चार पहियों वाला मोटर वाहन) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन] के लिए विशिष्ट अपेक्षाओं में संशोधन किए हैं ताकि एल,एम और एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की ट्रेक्शन बैटरी की तकनीकी अपेक्षाओं का निर्धारण किया जा सके। उक्त संशोधन 01 दिसंबर,2022 से अनुप्रयोज्य हैं और इन एआईएस मानकों में से कुछ खंड 31 मार्च,2023 से प्रभावी होंगे।

इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्वाड्रीसाइकल, ई-रिक्शा, दुपहियों और चौपहियों सहित सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में उत्पादन अनुरूपता के लिए दिनांक 25 अगस्त,2022 के सा.सां.नि. 659(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।
